न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 01/2024
जी.सी.एम.एस नं. 2024/66

प्रार्थी :–

राजस्थान राज्य जरिये,
प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय
बांसवाड़ा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री कमलेश लबाना पुत्र श्री अभय सिंह लबाना निवासी रोहनिया रामसिंह, तहसील सज्जनगढ, जिला बांसवाडा

उपस्थित

विभागीय पैरोकार

निर्णय

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 6 ए (1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित लिक्युफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000

दिनांक :– 05–12–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.09.2024 को उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ, जिला रसद अधिकारी बांसवाडा, संभागीय आयुक्त बांसवाडा के निर्देश पर अवैद्य गैस सिलेण्डर से भरे सील किये गोदाम की जांच श्री सुनिल कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री धर्मेन्द्र रोत, प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा करने पर मौके पर गोदाम का ताला लगा पाया। गोदाम की चाबी उपखण्ड कार्यालय कुशलगढ से प्राप्त की गई। तत्पश्चात् सचिव ग्राम पंचायत टाण्डा मंगला को बुलाकर गोदाम संचालक श्री कमलेश लबाना पुत्र अभय सिंह लबाना की उपस्थिति में गोदाम को खोलकर जांच करने पर एच.पी के 10 भरे गैस सिलेण्डर, भारत गैस के 25 खाली गैस सिलेण्डर, ईण्डेन के 2 खाली सिलेण्डर जिनकी क्षमता 14.2 किग्रा एवं 3 कमर्शियल खाली गैस सिलेण्डर जिनकी गैस भण्डारण क्षमता 19 किग्रा गैस भण्डारण क्षमता के पाये गये। कुल 40 गैस सिलेण्डर गोदाम में पाये गये। मौके पर उपस्थित श्री कमलेश द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा सीएससी सेन्टर का संचालन किया जाता है। जिसके साथ गैस सिलेण्डरो की बुकिंग, केवायसी एवं गैस एजेन्सी से सिलेण्डर उपलब्ध करवाये जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:59:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कार्य किया जाता है। परन्तु सीएससी से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये अतः गोदाम संचालक द्वारा लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन आर्डर 2000 के खण्ड 3–1(सी) का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन होने से मौके पर सिलेण्डरो को जब्त किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं	सिलेण्डर एस.आर क्रमांक	ऑयल कंपनी सील/अनसील	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार/क्षमता (किग्रा. में)	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित मानक भार/क्षमता (किग्रा. में)	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी कि.ग्रा. में	शुद्ध गैस का भार किग्रा में
1	881447 T	HPCL सील	14.2	15.4	29.6	14.2
2	057193 T	HPCL सील	14.2	15.8	28.6	12.8
3	114659 T	HPCL सील	14.2	15.8	28.8	13.0
4	545987 S	HPCL सील	14.2	15.4	28.4	13.0
5	1598660	HPCL सील	14.2	16.1	30.27	14.17
6	065954 E	HPCL सील	14.2	15.7	28.3	12.6
7	188466	HPCL सील	14.2	15.9	30.5	14.6
8	738812	HPCL सील	14.2	15.5	29.6	14.1
9	1429	HPCL सील	14.2	16.4	28.6	12.2
10	472204 S	HPCL सील	14.2	15.4	29.6	14.2
11	599024 T	BPCL अनसील	14.2	15.5	15.5	0
12	201673 S	BPCL अनसील	14.2	16.4	16.4	0
13	004799 T	BPCL अनसील	14.2	15.7	15.7	0
14	579078 S	BPCL अनसील	14.2	15.5	15.5	0
15	474452 S	BPCL अनसील	14.2	15.7	15.7	0
16	035734 T	BPCL अनसील	14.2	17.0	17.0	0
17	000928 T	BPCL अनसील	14.2	15.9	15.9	0
18	093918 T	BPCL अनसील	14.2	15.4	15.4	0
19	95328 S	BPCL अनसील	14.2	15.8	15.8	0
20	0733766S	BPCL अनसील	14.2	15.7	15.7	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:19:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

21	590024 T	BPCL अनसील	14.2	15.5	15.5	0
22	134455 S	BPCL अनसील	14.2	15.0	15.0	0
23	015541 T	BPCL अनसील	14.2	15.8	15.8	0
24	345836 B	BPCL अनसील	14.2	15.4	15.4	0
25	338891	BPCL अनसील	14.2	15.8	15.8	0
26	154099 S	BPCL अनसील	14.2	15.3	15.3	0
27	165674 T	BPCL अनसील	14.2	16.1	16.1	0
28	937456 S	BPCL अनसील	14.2	15.5	15.5	0
29	165717 S	BPCL अनसील	14.2	16.2	16.2	0
30	62294 T	BPCL अनसील	14.2	15.8	15.8	0
31	416453 S	BPCL अनसील	14.2	16.0	16.0	0
32	032993 T	BPCL अनसील	14.2	16.4	16.4	0
33	629437 T	BPCL अनसील	14.2	15.4	15.4	0
34	322223 B	BPCL अनसील	14.2	15.2	15.2	0
35	94143 F	BPCL अनसील	14.2	15.5	15.5	0
36	787935 S	INDEN अनसील	14.2	15.7	15.7	0
37	242602	INDEN अनसील	14.2	15.5	15.5	0
38	—	BPCL अनसील	19.0	19.3	19.3	0
39	08641	BPCL अनसील	19.0	19.6	19.6	0
40	963741 T	BPCL अनसील	19.0	19.4	19.4	0

जब्त सिलेण्डरो को श्री कैलाश चन्द्र सकवाल पुत्र श्री अमर सिंह सकवाल निवासी टाण्डा रतना डिलीवरी मेन जोगमाया एच.पी गैस सज्जनगढ को सुपूर्द किया गया। मौके पर पर्चा मौका व फर्द अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा 2 साक्षियों के समक्ष तैयार किया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 प्रस्तुत कर मौके से जप्त एच.पी के 10 भरे गैस सिलेण्डर, भारत गैस के 25 खाली गैस सिलेण्डर, ईण्डेन के 2 खाली सिलेण्डर जिनकी क्षमता 14.2 किग्रा एवं 3 कमर्शियल खाली गैस सिलेण्डर जिनकी गैस भण्डारण क्षमता 19 किग्रा गैस भण्डारण क्षमता, कुल 40 गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.01.23 15:39:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.10.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री अभय जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 06.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया कि अप्रार्थी के विरुद्ध जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय बांसवाडा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् कार्यवाही की गई जो निराधार है। उक्त कार्यवाही में अप्रार्थी निर्दोष है। जांच अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गई उस समय गौदाम पर कोई मौजुद नही था। उसके बावजुद अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में लिप्त कर दिया गया है। अप्रार्थी के पास भारत गैस एवं एच. पी. गैस के मुख्य डिलर द्वारा आस–पास के ग्रामीण इलाकों में गैस वितरण करने हेतु 7–7 टंकियों का भण्डारण रखने हेतु अनुबन्ध किया गया है। जो कि अनुबन्ध अप्रार्थी की पत्नी एवं उसके चचरे भाई के नाम से बना हुआ है तथा मुख्य डिलर द्वारा सुबह ही उक्त टंकियों को प्रार्थी की दुकान पर उतारा गया था तथा अन्य टंकियां अप्रार्थी की दुकान पर जिन ग्रामीणों को गैस टंकी की आवश्यकता थी वह खाली छोड कर अपने घर वापस चले गये थे क्योंकि अप्रार्थी उस समय अपनी पत्नी को लेकर झालोद हॉस्पिटल में ईलाज करवाने हेतु गया था। उसी बीच प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कार्यवाही कर दी गई। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी कमलेश लबाना के निवास संबंधित या दुकान में मालिकाना हक संबंधित दस्तावेज अनुसंधान में लिये गये हैं और ना ही कोई स्वतन्त्र साक्षी बनाया गया है। उक्त जप्तशुदा माल अप्रार्थी के अनुबन्ध के तहत अपनी दुकान में रखा हुआ था तथा अन्य ग्राहक जिनको गैस सिलेण्डर की आवश्यकता थी उनकी डायरीयां भी अप्रार्थी के पास पडी हुई है तथा उक्त सभी ग्राहक एवं अप्रार्थी अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तैयार व तत्पर है। अनुबन्ध की छायाप्रति जवाब के साथ संलग्न है। अनुबन्ध की छायाप्रति जवाब के साथ संलग्न है।

दिनांक 20.11.2024 को अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहें। आज 05.12.2024 को अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार–बार रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई किन्तु अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एकक्षीय बहस सुनी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 02.09.2024 को उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ, जिला रसद अधिकारी बांसवाडा, संभागीय आयुक्त बांसवाडा के निर्देश पर अवैद्य गैस सिलेण्डर से भरे सील किये गोदाम की जांच श्री सुनिल कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री धर्मेन्द्र रोत, प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा करने पर मौके पर गोदाम का ताला लगा पाया। गोदाम की चाबी उपखण्ड कार्यालय कुशलगढ से प्राप्त की गई। तत्पश्चात् सचिव ग्राम पंचायत टाण्डा मंगला को बुलाकर गोदाम संचालक श्री कमलेश लबाना पुत्र अभय सिंह लबाना की उपस्थिति में गोदाम को खोलकर जांच करने पर एच.पी के 10 भरे गैस सिलेण्डर, भारत गैस के 25 खाली गैस सिलेण्डर, ईण्डेन के 2 खाली सिलेण्डर जिनकी क्षमता 14.2 किग्रा एवं 3 कमर्शियल खाली गैस सिलेण्डर जिनकी गैस भण्डारण क्षमता 19 किग्रा गैस भण्डारण क्षमता के पाये गये। कुल 40 गैस सिलेण्डर गोदाम में पाये गये। मौके पर उपस्थित श्री कमलेश द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा सीएससी सेन्टर का संचालन किया जाता है। जिसके साथ गैस सिलेण्डरो की बुकिंग, केवायसी एवं गैस एजेन्सी से सिलेण्डर उपलब्ध करवाये जाने का कार्य किया जाता है। परन्तु सीएससी से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये अतः गोदाम संचालक द्वारा लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन आर्डर 2000 के खण्ड 3–1(सी) का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन होने से मौके पर सिलेण्डरो को जब्त किया गया। जब्त सिलेण्डरो को श्री कैलाश चन्द्र सकवाल पुत्र श्री अमर सिंह सकवाल निवासी टाण्डा रतना डिलीवरी मेन जोगमाया एच.पी गैस सज्जनगढ को सुपूर्द किया गया। मौके पर पर्चा मौका व फर्द अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा 2 साक्षियों के समक्ष तैयार किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (रा.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:59:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

स्वीकार कर मौके से जप्त एच.पी के 10 भरे गैस सिलेण्डर, भारत गैस के 25 खाली गैस सिलेण्डर, ईण्डेन के 2 खाली सिलेण्डर जिनकी क्षमता 14.2 किग्रा एवं 3 कमर्शियल खाली गैस सिलेण्डर जिनकी गैस भण्डारण क्षमता 19 किग्रा गैस भण्डारण क्षमता, कुल 40 गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह उल्लेखित किया है कि "अप्रार्थी के पास भारत गैस एवं एच.पी. गैस के मुख्य डिलर द्वारा आस–पास के ग्रामीण इलाकों में गैस वितरण करने हेतु 7–7 टंकियों का भण्डारण रखने हेतु अनुबन्ध किया गया है। जो कि अनुबन्ध अप्रार्थी की पत्नी एवं उसके चचरे भाई के नाम से बना हुआ है।" अप्रार्थी द्वारा जवाब के साथ अनुबन्ध की प्रतियां संलग्न की है। उक्त अनुबन्ध की प्रति से यह स्पष्ट नही हो रहा कि अनुबन्ध अप्रार्थी की पत्नी व चचेरे भाई से सम्बन्धित है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं/ उनकी पत्नि/ चचेरे भाई द्वारा सीएससी सेन्टर संचालन सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं विभागीय प्रतिनिधि द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तथ्यों के प्रकाश में अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डार किया जाना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्तानुसार जब्त शुदा एच.पी के 10 भरे गैस सिलेण्डर, भारत गैस के 25 खाली गैस सिलेण्डर, ईण्डेन के 2 खाली सिलेण्डर जिनकी क्षमता 14.2 किग्रा एवं 3 कमर्शियल खाली गैस सिलेण्डर जिनकी गैस भण्डारण क्षमता 19 किग्रा गैस भण्डारण क्षमता, कुल 40 गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 05–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:59:37 IST
Reason: SelfAttested